32

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 530184

न्यास विलेख पत्र

प्रस्तुत न्यास विलेख दिनांक–17/05/2019 को मैं मन्ना देवी पत्नी श्री छोटेलाल गुप्ता निवासी ग्राम–भण्डरिया टोला, पोस्ट–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर द्वारा **किसुना देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट मण्डरिया टोला कस्बा मड़ियाहूँ, जौनपुर** के नाम से एक सार्वजनिक धर्मादा न्यास (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) निर्मित कर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत कर रही हूँ।

विदित हो कि मैं मन्ना देवी जनहित के उद्देश्य से अपनी इच्छा तथा सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ एक पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट (सार्वजनिक धर्मादा न्यास) का गठन करना चाहती हूँ जिसका तथ्य निम्नलिखित है।

मैं मन्ना देवी निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यासी नियुक्त करती हूँ।

1. प्रधान न्यासी मन्ना देवी उम्र लगभग–64 वर्ष पत्नी छोटेलाल निवासी मोहल्ला–भण्डरियाँ टोला, पोस्ट व तहसील–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर।
2. न्यासी छोटेलाल गुप्त पुत्र स्व0 बाकेलाल गुप्त उम्र लगभग–68 वर्ष पत्नी छोटेलाल निवासी मोहल्ला–भण्डरियाँ टोला, पोस्ट व तहसील–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर।
3. न्यासी विनय कुमार गुप्त उम्र लगभग–34 वर्ष पुत्र छोटेलाल निवासी मोहल्ला–भण्डरियाँ टोला, पोस्ट व तहसील–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर।
4. न्यासी सन्तोष कुमार गुप्त उम्र लगभग–31 वर्ष पुत्र छोटेलाल निवासी मोहल्ला–भण्डरियाँ टोला, पोस्ट व तहसील–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर।

मैं प्रधान न्यासी मन्ना देवी का सत्यनिष्ठा एवं स्वविवेक से रु0 10,000/– न्यास फण्ड में जमा कर न्यास की स्थापना करता हूँ तथा उपरोक्त नियुक्त न्यासीगण 1 ता 5 द्वारा उक्त धनराशि रु0 10,000/– न्यासहित में प्राप्त किया गया जिससे न्यास अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य कर सके।

मन्नो देवी

क्रमशः 2 पर/–

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सत्यव्रत निगम
स्टाम्प विक्रेता कोषागार
जौनपुर

EV 543400

(2)

उपरोक्त 10,000/– धनराशि के साथ–साथ धनराशि और और सम्पत्तियाँ जो समय–समय पर अंशदान, अनुदान, बख्शिश, उपहार, इत्यादि किसी मेरे द्वारा या व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या संस्थानों, निगम, संगठन, स्थानीय निकायों या सरकार द्वारा दिया जायेगा और सभी धनराशि या आमदनी या क्षतिपूर्ति का दावा और सेवा तथा सभी सम्पत्तियाँ चाहे चल हो या अचल सब पर न्यास का अधिपत्य होगा तथा वह न्यास की सम्पत्ति होगी। किसी भी परिस्थिति में न्यास के उद्देश्यों के पूरा करने हेतु न्यास के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या न्यासी की व्यक्तिगत अथवा निजी उपयोग के लिए उपयोगी नही होगी। उक्त सम्पति के रख–रखाव के लिए एक "न्यास फण्ड" होगा और न्यासियों में सहमति होगा।

न्यास के समस्त न्यासी भारतीय नागरिक है और न्यास की कुल सम्पत्ति वर्तमान में नकद रु0 10,000/– से अधिक नही है। न्यास की स्थापना आमजन के लाभ एवं कल्याण के लिए की जा रही है। अतः न्यास के न्यासी या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति न्यास के द्वारा अपने लाभ हेतु क्रियाशील नहीं होगा।

1. न्यास का नाम : **किसुना देवी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट**
2. पंजीकृत कार्यालय : मो0–भण्डरिया टोला,पोस्ट व तहसील–मड़ियाहूँ, जिला–जौनपुर
3. कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।

न्यास के उद्देश्य : न्यास के उद्देश्य सर्वजन के कल्याण व हित को दृष्टिगत रखते हुए निम्न होगें।

1. शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जन जागरुकता फैलाना। आवश्यकतानुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, विकास एवं उन्नयन करना। समय–समय पर जनजागरुकता शिविरों की स्थापना करना एवं उनके माध्यम से शैक्षिक प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क चिकित्सा, टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षा का प्रसार करना, प्रौढ़ व उद्देश्य मूलक व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना व शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा लोगों को वैज्ञानिक एवं उपयोगी जानकारी से अवगत कराना। इसके लिए छात्रवृत्ति, पेंशन, आर्थिक सहायता, वेतन, विद्यालयों का अनुदान, स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अध्ययन कक्ष, छात्रावास एवं शैक्षिक निधियों की स्थापना एवं संचालन एंव इच्छुक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

मन्नादेवी

क्रमशः 3 पर/–

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक...253...स्टाम्प विक्रय की तिथि 1-5-19
आवेदन स०: 201900985003636
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता..मन्ना देवी..W/o..छोटेलाल गुप्त
सा०..मड़ियाहूं..परगना..तहसील..मड़ियाहूं
जि०..जौनपुर..स्टाम्प की धनराशि....100....

न्यास पत्र

राजेश कुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता
लाइ० नं० 237
सिविल लाइन रोड जौनपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
22 APR 2019

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 32

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

मन्नो देवी

श्रीमती मन्ना देवी ,
पत्नी श्री छोटेलाल गुप्ता
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: भण्डरियाटोला कस्बा मडियाहूं,प0त0 मडियाहूं,जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 22/05/2019 एवं 02:06:32 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार
उप निबंधक :मडियाहूं
जौनपुर
22/05/2019

इन्दु प्रकाश सिंह
निबंधक लिपिक

उप रजिस्ट्रार मड़ियाहूं जौनपुर
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 737714

2. शिक्षा के अधिकार, सूचना के अधिकार और रोजगार के अधिकार के प्रति जनता मेंजागरुकता बढ़ाना और उन्हें उक्त अधिकार प्राप्त कराने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
3. बालक/बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए नर्सरी, प्लेग्रुप, प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल,हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय की स्थपना व संचालन करना।
4. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयो एवं भाषाओं की समुचित व्यवस्था करना।
5. रोजगार बढ़ानें के अवसर के साथ–साथ क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों पर आधारित स्वरोजगार, गृह एवं कुटीर उद्योग, वानिकी आधारित उद्योग की ईकाइयों की स्थापना,विकास एवं नीति निर्माण हेतु पहल करना।
6. दलित एवं शोषित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक विकास हेतु कार्य करना।

क्रमशः 4 पर/--

बा॰ नि॰ अ॰

मन्नो देवी

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक......260...... स्टाम्प आवेदन सं. 201900985003636

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...

स्टाम्प क्रेता का नाम ... मन्ना देवी W/o छोटेलाल गुप्ता

सा0 ... तहसील ...

जि0 ... स्टाम्प ...

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 32 वर्ष: 2019

वरिष्ठ कोषाधिकारी

22 APR 2019

जौनपुर

राजेश कुमार ... स्टाम्प विक्रेता
ला० न० ...
सिविल लाइन रोड जौनपुर

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

मन्ना देवी

श्रीमती मन्ना देवी, पत्नी श्री छोटेलाल गुप्ता

निवासी: भण्डरियाटोला कस्बा मडियाहूं,प0त0 मडियाहूं,जौनपुर

व्यवसाय: गृहिणी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री श्याम कुमार गुप्ता , पुत्र श्री स्व0 बैजनाथ गुप्ता

निवासी: मो0भण्डरियाटोला कस्बा मडियाहूं,प0त0 मडियाहूं,जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

रामचन्द्र गुप्ता

श्री रामचन्दर गुप्ता , पुत्र श्री स्व0 कल्यानदास गुप्ता

निवासी: मो0गंजगली तह0 मडियाहूं,जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

अजय कुमार
उप निबंधक : मडियाहूं
जौनपुर

इन्दु प्रकाश सिंह
निबंधक लिपिक

उप निबंधक मडियाहूं उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 737715

7. भूमि सम्बन्धी कानूनों का पालन करना एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार भूमि सम्बन्धी कानूनों के निर्माण की पहल एवं उनका क्रियान्वयन। क्षेत्रीय जनता को स्थानीय भूमि सम्बन्धी कानूनों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण एवं निःशुल्क कानूनी सहायता शिविर का आयोजन करना।
8. स्थानीय स्वशासन (लोकल गर्वनेन्स) के प्रति जनजागरण एवं उसके विकास हेतु पहल, नीति निर्माण एवं क्रियान्वय। पंचायतीराज के क्षेत्र में कार्य करना।
9. धर्म, संस्कृति, भाषा, दर्शन, विधि, कृषि विज्ञान, साहित्य कला एव संगीत कला तथा अन्य धर्मों विद्याओं एवं आयुर्विज्ञान इत्यादि के संबर्धन और विकास में सार्थक भूमिका हेतु समय–समय गोष्ठियाँ, व्याख्यानमाला, शोध प्रकाशन, शोध एवं शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा उसके विकास के लिए प्रकाशन एवं प्रर्दशनियों का आयोजन करना।
10. मनुष्य की सर्वोत्तम भावनाओं के प्रतीक मानव सद्भावना, अर्चना स्थलों का निर्माण एवं रख–रखाव, पूजा, अर्चना स्थलों का निर्माण रख–रखाव व जीर्णोद्धार, व्यायामशालायें चलाना, शारीरिक रुप से विकलांग तथा बच्चों एवं बूढ़ों के लिए विशेष योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना।
11. धर्म एवं दर्शन तथा जीवन के सभी पहलुओं पर यर्थाथवादी आध्यात्मिक एवं अनुभूतिपरक दृष्टिकोण एवं नैतिक जीवन में दृष्टि का समावेश करना तथा एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें प्रेम सौहार्द, एकता समानता, भाईचारा, सत्य, दया, त्याग, करुणा, अहिंसा जैसे मानवोचित कल्याणकारी व परोपकारी धर्म व सेवायुक्त जीवन जन–जन को प्राप्त हो।

क्रमशः 5 पर/–

मुन्नी देवी

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AD 316524

12. ग्रामीण अंचलों में नागरिकों, बालक–बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करने के लिए समुचित प्रबन्ध करना तथा सामाजिक सुधार हेतु सहायता करना।

13. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार करने हेतु प्रेरणा देना। इलेक्ट्रानिक यांत्रिकी, कला, टाइपिंग, मोमबत्ती, अगरबत्ती,टेलरिंग, व्युटिशियन के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजनाएं चलाना, कृषि,खेती, वानिकी आधारित उद्योगों, कुटीर आधारित उद्योग, कुटीर एवं लघु उद्योग लगाने हेतु निःशुल्क औद्योगिक परामर्श की व्यवस्था करना।

14. समय की आवश्यकता को देखते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास, वौद्धिक विकास हेतु शिविर, कार्यशाला एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित कर उन्हें उचित मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देना।

15. नशा उन्मूलन एड्स, कुष्ठ रोग, यौन रोग, पोलियों, टी.वी. एवं अन्य संक्रामक बीमारियों की जानकारी कराना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकि जानकारियों से अवगत कराना। असाध्य रोगों से बचाव के लिए जन–जागरण करना एवं पीड़ित व्यक्तियों एवं परिवारों को आर्थिक चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान कर सेवा करना एवं हरसम्भव सुविधा उपलब्ध कराना।

16. पीड़ित, दलित, निर्बल, गरीब एवं जरुरतमन्दों लोगों को चिकित्सा सुविधा और सहायता प्रदान करना, उनको अस्पताल में रहने पर दवा वितरित करना, उनकी देखभाल सेवा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, दवाखाना, नर्सिंग होम, औषधालय वगैरह की स्थापना एवं संचालन तथा पहले से ही सम्बन्धित संचालित औषधालयों मे दवा की व्यवस्था करना। गरीब, बीमार एवं कमजोर की मदद करना या जरुरतमन्द व्यक्तियों के चिकित्सा इलाज एवं अन्य प्रकार की सहायता देना और उनके खर्चे की व्यवस्था करना।

17. मातृ शिशुगृह के उत्थान, रख–रखाव हेतु सहायता प्रदान करना, बाल कल्याण केन्द्र, पीने का स्वच्छ जल, विधवा विवाह को बढ़ाना, गूँगें एवं अन्धे व दरिद्र लोगों के लिए भवन की व्यवस्था करना तथा अन्य लोगों को विपत्ति में सहायता प्रदान करना।

बाо निо हо

मन्त्री देवी

क्रमशः 5 पर/–

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
60AD 316525

18. प्राकृतिक विपदा जैसे–बाढ़, अकाल, भूकम्प, आगजनी, महामारी इत्यादि के समय सहायता कार्य करना। जन सामान्य के लाभ हेतु नलकूप, टंकी, पोखरी व जलमार्ग सेतु के निर्माण एवं रख–रखाव हेतु अनुदान द्वारा अथवा अन्य हर सम्भव तरीके से सहयोग करना।

19. धर्मशाला, अखाड़ा, गोशाला, आरामगृह की स्थापना करना या पहले से ही स्थापना होने पर इसका विकास करनें में सहायता प्रदान करना। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जन जागरण रैलियां, गोष्ठी का आयोजन करना, पर्यावरण के प्रति लोगों को अवगत कराना। प्रतिवर्ष योजनाएं बनाकर वृक्षारोपण करना तथा जानवरों,पशुओं एवं पक्षियों तथा अन्य जन्तुओं की सुरक्षा के लिए समुचित कार्य करना।

20. नशाखोरी, मद्यपान, अन्धविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए गोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन करके उसके दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा उनका आत्म विश्वास एवं मनोबल बढ़ाना।

21. समाज में उपेक्षित लड़के एवं लड़कियों एवं बाल श्रमिकों के आर्थिक विकास से समबन्धित प्रशिक्षण योजनाएं चालाना।

22. निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनके नागरिक अधिकारों एवं दायित्वों सम्बन्धी प्रशिक्षण देना व उनके सामाज़िक, आर्थिक, विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण योजनाएं चलाना।

23. समाज में नागरिकों के साथ होने वाले अन्याय एवं कठिनाईयों को दूर करने के लिए विधिक जानकारी से अवगत कराना तथा विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

24. जन समुदाय धर्म एवं मानव-प्रेम की भावना विकसित करने हेतु महापुरुषों यीशु भक्तों से सम्बन्धित गोष्ठियां, सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना व कराना।

25. सरकारी, अर्द्धसरकारी / निगमों संस्थाओं, विभाग जैसे निगम, लघु उद्योग, निदेशालय, महिला कल्याण निगम, पिछड़ा कल्याण निगम,अल्पसंख्यक कल्याण निगम व अन्य संस्थाओं से अन्य वित्तिय सहायता, अनुदान, परामर्श आदि लेकर समाज के आदिवासी, निर्धन पिछड़े, अनु0जाति / अनु0जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का प्रशिक्षण करते हुए स्वावलम्बी बनाना।

26. समाज में ऐसी संस्थाओं का निर्माण कराना जहाँ पर अनाथ बच्चें, निराश्रित महिलाएं व वयोवृद्ध नागरिक एवं सम्मिलित परिवार के रुप में रहें व सम्मानित ढंग से जीवन यापन कर सकें। गरीब परिवार के विवाह योग्य युवक–युवतियों का विवाह करवाना।

क्रमशः 7 पर/–

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AD 316526

27. सामाजिक जन–जागरुकता एवं मानवाधिकार एवं महिला एवं बाल अधिकार के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता जन जागरण करना एवं जागरुकता शिविर चलाना।
28. समान रुचि एवं उद्देश्यों वाली संस्थाओं के साथ मिलकर उनके कार्यो में सहयोग देना व लेना व मानवता के समग्र विकास हेतु मिल जुल कर सार्थक प्रयास करना।
29. अन्य वे सभी कार्य जो समाज एवं जनता के हित में न्यास के द्वारा समय–समय पर निर्णय लेकर किये जायेगें।
30. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों का निर्माण करना।
31. जन साधारण में राष्ट्र प्रेम व राष्ट्र भावना को विकसित करने हेतु भारतीय महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं राष्ट्रीय एकता को पोषित करने वाले सन्तों से सम्बन्धित गोष्ठियों, सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
32. मानवाधिकारों एवं नागरिकों अधिकारों की बहाली एवं रक्षा के लिए एक सजग समिति की स्थापना करना एवं वन जागरुकता अभियान चलाना।
33. राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भाईचारा स्थापित करना।

4. **न्यास का सविधान** 1. उपरोक्त सभी कार्यो को सम्पादित करने के लिए न्यासीगण पारित प्रस्ताव के द्वारा न्यास बैंक खाते में रुपया निकाल कर निवेश करने के अधिकारी होगें। समय–समय पर विचारोपरान्त पारित प्रस्ताव द्वारा धनराशि का प्रयोग न्यास व कल्याणार्थ या ऊपर वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निवेश कर सकेगें। इसमें प्रधान न्यासी का आदेश या निर्णय अन्तिम होगा।

   2. उपरोक्त सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें प्रधान न्यासी, अन्य न्यासियों सहित समाज के गणमान्य व्यक्तियों को मिलाकर उसका गठन अन्तिम होगा।
   3. प्रबन्ध समिति में शामिल व्यक्तियों की संख्या न्यासीगण के स्व–विवेक व बहुमत के निर्णय से होगा। प्रबन्ध समिति के सदस्य आपसे मे विचार–विमर्श करके आवश्यक सलाह देगें और कार्य को सम्पादित करने में सहयोग करेंगे। न्यासीगण में से प्रधान न्यासी अपने जीवन काल में न्यास के कार्य संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष रहेगें।न्यास का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, परन्तु प्रधान न्यासी का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
   4. अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति के सदस्यों को स्पष्ट आवश्यक दायित्व दे सकेगें।

क्रमश/8 पर

मन्नीदेवी

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AD 316527

5. सभी वास्तविक खातें रसीद द्वारा प्रदर्शित होगें और सभी का भुगतान एतद्द्वारा निर्मित न्यास के खाते से किया जायेगा और सभी आय–व्यय का लेखा–जोखा प्रबन्ध समिति द्वारा रखा जायेगा। न्यास खाते का संचालन प्रधान न्यासी/अध्यक्ष तथा एक अन्य न्यासी जिन्हें अध्यक्ष जी सचिव के रुप में नियुक्त करेगें। न्यास की साख एवं विश्वास को प्रभावी बनाये रखने के लिए न्यासीगण द्वारा सम्पूर्ण खाते का परीक्षण चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा। न्यास का वार्षिक आय–व्यय पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

6. न्यास खाते में पूँजी से प्राप्त की गयी कोई धनराशि, सम्पत्ति, अंश प्रतिभूति अथवा किसी भी प्रकार के ऋणपत्र के अंश न्यास खातें में जोड़े जायेंगे और न्यास खाते के आमदनी के रुप में समझे जायेगें।

7. न्यासीगण समय–समय पर सन्दर्भित खर्चो के सम्बन्ध में ऊपर वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु निर्णय करेगें और उससे प्राप्त आय न्यास की सम्पत्ति होगी।

8. न्यास खाते की धनराशि अचल सम्पत्ति का पट्टा क्रय करने और या अचल सम्पत्ति को बन्धक लेने या इसी प्रकार के अन्य कार्यो में जैसा न्यासीगण समय–समय पर निर्धारित करें, निवेश किया जायेगा और जमा धनराशि से किसी व्यक्ति या फर्म, नियमित समिति, संगठन, संघ को न्यासीगण की सहमति सर्वनियत शर्तो पर ऋण प्रदान किया जायेगा और उसी परिप्रेक्ष्य में भुगतान किया जायेगा।

9. न्यासीगण जैसा उचित समझे, उन्हें बहुमत से न्यास की इस विलेख द्वारा की जा रही व्यवस्था को परिवर्तन करने, रुपान्तरण करने एवं न्यास को स्थानान्तरित करने का अधिकार होगा। परन्तु अन्तिम निर्णय अध्यक्ष/प्रधान न्यासी द्वारा किया जायेगा ऐसा करते समय हर परिवर्तन, रुपान्तरण एवं स्थानान्तरण का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। न्यास की सम्पत्ति, सहसम्मति चाहे वह निजी हो,क्रय की गयी हो और/या पट्टे पर अर्जित की गयी हो, न्यास के नाम से होगी। लेकिन वह सम्पत्ति न्यास में निहित होगी।

10. न्यास में न्यासियों की न्यूनतम् संख्या–02 और अधिकतम् संख्या दोनो की सहमति से की जायेगी।

मन्तोदेवी

क्रमश/9 पर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AD 316528

5. न्यासी के अधिकार व कर्तव्य–

1. दान या अंशदान स्वीकार करना, अंशदान, उपहार और या कोई अन्य सहसम्पत्ति और/या अनुदान योग्य सम्पत्ति और / या तो जायदाद या वस्तु में हो या कोई भी अधिकार चल या अचल सम्पत्तिया अन्य जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा न्यास के उद्देश्या की पूर्ति के लिये लिया या दिया गया हो या स्वीकार किया गया हो,ऐसा कोई अंशदान, उपहार, सहसम्पत्ति, अनुदान, सम्पत्ति जायदाद,या वस्तु सम्बन्धित प्रबन्ध समिति के सदस्य द्वारा न्यास के पास दस दिनों के अन्दर किसी भी परिस्थितियों में स्थानान्तरित करना होगा या अवधि विशेष परिस्थिति में प्रधान न्यासी द्वारा स्पष्ट स्वीकृति से बढ़ाई जा सकेगी।

2. न्यास की उन्नति के लिए सम्पत्ति क्रय करना, कब्जा लेना और फर्म व कम्पनियों के उपहार या अंशदान ऋण पत्र अंश स्वीकार करना जनन्यास के लिए सरकार के प्रतिभूति व अन्य सम्पत्ति नियमानुसार प्राप्त करना, न्यास के लिए आय उपलब्ध करने हेतु समय–समय पर प्रस्ताव पास कर न्यासीगण द्वारा आवेदन करना।

3. न्यासीगण को सोच–विचार के आधार पर जैसा उचित हो, न्यास के पास में सम्पत्ति विक्रय करने, परिवर्तित करने, विनियत, हस्तान्तरण पट्टा अथवा किराये पर देने अथवा सम्पूर्ण सम्पत्ति को चाहे वह अचल हो के सम्बन्ध में निवेश करने अथवा पुनर्निवेश करने का अधिकार प्रस्ताव पारित कर होगा।

4. न्यास पर सभी लगाये गये 'करो' का भुगतान करना, बाहर स्थित सम्पत्ति/सम्पत्तियों हेतु भेजने हेतु भुगतान या न्यास खाते के विस्तार के लिए और समय–समय पर आवश्यक मरम्मत नवीनीकरण के लिंए आज्ञानुसार कार्य करेगी और उसकी सुरक्षा के लिए न्यासी गण उपयुक्त कार्य करेगें। विपरीत क्षतिग्रस्त या नुकसान होने पर न्यासीगण जैसा मुनासिब समझेंगे वैसा करेंगे। पारित सभी प्रस्तावों व लेन–देन इत्यादि की सहमति लिखित रुप में आवश्यक होगी।

5. न्यासी के कार्य हेतु उसके अन्तर्गत उन्नति के लिए यदि ऋण की आवश्यकता हो तो न्यासीगण प्रतिभूति सहित या बिना प्रतिभूति के अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए जैसा उचित समझेगें ऋण प्राप्त कर सकेगें।

मन्नादेवी

क्रमशः/10 पर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 60AD 316529

6. विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसके क्रियान्वित करने एवं वैधानिक प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के तहत वाद दाखिल करने या अपील करने, आवेदन पत्र निर्मित करने, याचिका दाखिल करने एवं शपथ पत्र देना जैसा भी आवश्यक एवं हितकर हो, उसे सुलझाने, उस दिशा में कार्य करने, क्लेम करने और वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपील या जो विवाद न्यास से सम्बन्धित हो या न्यास से सम्बन्धित हो न्यास खाते अथवा उसके अन्तर्गत हो या उससे सम्बन्धित व्यय से सम्बन्धित हो, न्यासीगण द्वारा किया जायेगा मुकदमें की पैरवी करने के लिए न्यासीगण किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं।
7. न्यास के खाते के सम्पूर्ण अंश और न्यास के उद्देश्य के विकास के लिए आय की व्यवस्था करना।
8. यदि आवश्यकता हो तो समय–समय पर अथवा अल्पकाल के लिए न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपसमिति का गठन करेंगे जिसमें एक अथवा अधिक न्यासीगण अधिकार सहित संचालित करेंगे और उनके सहयोग हेतु स्वच्छ छवि वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं प्रभावशाली व्यक्तियों संगठित करेंगे।
9. उपरोक्त न्यास के समान उद्देश्य वाले अन्य, संस्था या समितियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना, अधिग्रहण करना, सम्बद्धता प्रदान करना।
10. अधिवक्ता व प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और इनको जिम्मेंदारी एवं अधिकार प्रदान करने के सारे अधिकार न्यास के प्रधान न्यासीगण को होगें, जो विधि प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं प्रतिवाद करने एवं न्यास की उन्नति से सम्बन्धित कार्य करेगा।
11. न्यास के कार्य के लिए मैनेजर एवं अन्य अधिकारियों नियुक्ति न्यासीगण अपने स्वविवेक एवं विचार के आधार पर प्रबन्ध समिति की आवश्यकता को देखते हुए करेंगे और सचिव मैनेजर को न्यास की ओर से सामान्य एवं विशिष्ट कार्य हेतु अधिकार प्रदान किय जायेगें जो न्यास के प्रशासन एवं सामान्य कार्य करेगें।
12. न्यास का कार्य करने के लिए की गयी कोई नियुक्ति/नियुक्तिया जो कर्मचारियों, विधिक अधिवक्ता या प्रतिनिधि की गयी है, उसे वापस लेने, रद्द करने का अधिकार न्यासीगण के बहुमत के निर्णय से होगा।

क्रमशः 11 पर/–

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
TEN RUPEES
रु.10
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
60AD 316530

13. सामान्य रुप से सभी कार्य, विलेख पत्र जैसी भी जरुरत प्रबन्ध समिति के नियत्रंण प्रशासन एवं न्यास की सुरक्षा हेतु आवश्यक हो और सभी प्रासंगिक मामले जो सम्बन्धित हो न्यास और/या के खाते के माध्यम से होते रहेगें तथा इस सम्बन्ध में सारे अधिकार न्यासीगण में समाहित होगें।

14. भविष्य में जब भी न्यासी पद रिक्त होगा, जो न्यासी जीवित रहेंगें उनके द्वारा अन्य न्यासी का मनोनयन किया जायेगा।

6. **न्यास का कोश–** न्यास का एक कोष होगा जो किसी बैंक या पोस्ट आफिस में एक अथवा मद विशेष के लिए खोले गये खाताओं में संरक्षित रखा जायेगा। उक्त खाते का संचालन प्रधान न्यासी एवं उनके द्वारा नियुक्त कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

7. **विशेष प्रावधान–**

क. न्यास के सम्बन्ध में किसी भी निर्णय के लिए अन्तिम रुप से प्रधान न्यासी का निर्णय सर्वमान्य होगा एवं उसे कहीं भी किसी भी रुप में चुनौती नही दी जा सकेगी।

मन्नादेवी

क्रमशः 12 पर/–

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AD 316531

ख. न्यासियों के स्थान रिक्त होने पर न्यासीगण के आपसी विचार–विमर्श से समाज के सामाजिक पृष्ठ भूमि व सेवाओं वाले व्यक्तियों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी।

ग. न्यासीगण का आजीवन न्यास के सदस्य के रुप में कार्य करते रहेंग जब तक कि उनके द्वारा कोई भी न्यास विरोधी अथवा अपराधिक गतिविधियों में शामिल न होना पाया जाय।

घ. न्यास के पंजीकरण के समय प्रधान न्यासी/अध्यक्ष द्वारा न्यासियो के सहमति से श्री छोटेलाल गुप्त न्यासी को ट्रस्ट का सचिव नियुक्त किया जा रहा है जो अग्रिम व्यवस्था होने तक सचिव पद पर कार्य करते रहेगे।

ड0. न्यास की उन्नति एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यासीगण समय–समय पर कार्यक्रम नियम एवं नियमावली बनायेगें तथा न्यासीगण अपने स्वविवेक से दस्तावेज निर्माण करके कार्य का प्रारुप तैयार करेगें जिसमें किसी प्रकार का मतभेद एवं अविवेकपूर्ण कार्य का उल्लेख नहीं होगा और बहुमत से न्यासीगणों का आदेश व निर्णय अन्तिम व सर्वोपरि होगा।

च. प्रधान न्यासी/अध्यक्ष ही किसी बैठक की अध्यक्षता करेगें अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य न्यासी किसी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।

छ. दो न्यासी की उपस्थिति में किसी बैठक में कोरम को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। सभी प्रश्नगत मामले एवं उत्पन्न समस्याएं न्यासीगण की सहमति से हल किये जायेगें।

ज. न्यासीगण के बैठक की संक्षिप्त प्रक्रिया पुस्तक में अंकित की जायेगी जो अध्यक्ष, के हस्ताक्षर से उसी हेतु रखी जायेगी और उस बैठक में निर्णय प्राविधान कार्य आदि का (यदि कोई हो) उल्लेख होता रहेगा।

झ. वर्तमान समय में या भविष्य में लागू होने वाले आयकर, व्यापार कर,सम्पत्ति कर न्यास अधिनियम व अन्य सम्बन्धित अधिनियमों के सुसंगत प्राविधान इस न्यास विलेख में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त स्वतः इस न्यास विलेख पर प्रभावी माने जायेगें।

ट. अन्य विशेष उपबन्ध जो न्यासीगण द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किये जायेगें।

मन्ना देवी

क्रमशः 13 पर/–

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

60AD 316532

दिनांक– 17-5-2019

गवाहान –

1. नाम–श्री श्याम कुमार गुप्ता
   पिता का नाम–स्व0 बैजनाथ गुप्ता
   पूरा पता–मो0–भण्डरिया टोला,पोस्ट व तहसील–मड़ियाहूँ, जौनपुर

NOTARY
Ashok Kumar
Mariahu, Jaunpur
R.N. 27/7180
GOVT. OF UTTAR PRADESH

2. नाम–श्री.रामचन्द्रगुप्ता
   पिता का नाम–स्व0 कल्यानदास गुप्ता
   पूरा पता–पूरा पता–मो0–गंजगली पोस्ट व तहसील–मड़ियाहूँ, जौनपुर

मन्नोदेवी

क्रमशः / 14

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AD 316533

(14)

मसविदा कर्ता– Sahab Lal yadav. Advocate
साहबलाल यादव (एडवोकेट)
रजिस्ट्रेशन संख्या : उ0प्र0 1058/81
तहसील–मड़ियाहूँ, जनपद–जौनपुर

टाइपकर्ता– यादव ऑफसेट प्रिन्टर्स
सदरगंज, मड़ियाहूँ, जौनपुर

बा0नि0 अं0

मन्नादेवी

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक 271/26 स्टाम्प विक्रय की तिथि 1-5-19
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन 300
आवेदन सं०: 20190099850[illegible]36 छोटेलाल गुप्ता
सा० ग्रा० डरियाडोला तहसील मड़ियाहूं
जि० जौनपुर — 10
सत्येन्द्र स्टाम्प विक्रेता
सिविल लाइन रोड जौनपुर

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 30 के पृष्ठ 99 से 126 तक क्रमांक 32 पर दिनाँक 22/05/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार
उप निबंधक : मड़ियाहूं
जौनपुर
22/05/2019

उप निबंधक मड़ियाहूं जौनपुर • उत्तर प्रदेश •
सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

मन्ना देवी
Manna Devi
जन्म तिथि/ DOB: 01/01/1955
महिला / FEMALE

9121 9179 8580

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
अर्धांगिनी: छोटे लाल गुप्ता, भंडरिया टोला, क़स्बा मरियाहू, जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222161

Address:
W/O: Chhote Lal Gupta, Bhandariya tola, Kasba Mariyahu, Jaunpur, Uttar Pradesh - 222161

9121 9179 8580

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

मन्नादेवी M. 9208480097

Scanned with OKEN Scanner

13

निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

A0920405

निर्वाचक का नाम :
श्याम कुमार
Elector's Name :
SHYAM KUMAR
पिता का नाम : बैजनाथ
Father's Name : BAIJNATH
लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्मतिथि DOB : XX/XX/1975

ROA0920405

पता - म.सं.61,
भण्डारियाटोला,
भण्डारियाटोला,
तहसील-मड़ियाहूं, जिला-जौनपुर

Address- HNo.61,
Bhandariyatola,
BHANDARIYATOLA,
TEH-Mariyahu, DIST-Jaunpur

Date : 22-12-2011

370 - मड़ियाहूं निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 370 - Mariyahu Constituency

37/515

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए संबंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number.

9792546295